न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः–श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः–66/2019 (GCMS No. 2019/00070) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. ठण्डी पुत्र श्रीया जाति मीना निवासी मिलक सराय तहसील नादौती जिला करौली।

..... अपीलान्टस

बनाम

1. लोहडया पुत्र विरंजी जाति माली निवासी मिलक सराय तहसील नादौती जिल करौली
2. प्रेमचन्द } पिसरान किरोडी जाति मीना निवासी मिलक सराय तहसील नादौती
3 रामनिवास } जिला करौली
4. तहसीलदार नादौती जिला करौली।

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली प्रकरण संख्या 19/2014 उनवानी ठण्डी बनाम लोहडया निर्णय दिनांक 04.12.2014 व सिलसिले नामान्तकरण संख्या 452 दिनांक 15.07.2014 तहसीलदार नादौती

उपस्थितिः– 1. श्री महाराजसिंह, वकील अपीलान्ट
2. श्री गोविन्दसिंह डागुर, वकील रेस्पोडैन्ट

निर्णय

दिनांक– 13.04.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के निर्णय दिनांक 04.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 775 रकबा 1.25 है0 स्थित ग्राम मिलक सराय तहसील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नादौती पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अपील विचाराधीन रही है तथा उसमें स्थगन आदेश होने के बावजूद भी प्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 452 दिनांक 15.07.2014 को स्वीकृत किया गया। विवादित आराजी के संबंध में सक्षम न्यायालय मे नियमित वाद विचाराधीन है जिसमें तथाकथित विक्रय विलेख को निरस्तीकरण कराये जाने हेतु कार्यवाही की गई। सक्षम न्यायालय में नियमित कार्यवाही विचाराधीन होने की अवस्था में विक्रय पत्र के तहत नामान्तकरण की कार्यवाही को स्थगित करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं कर हर दो अधीनस्थ न्यायालयों ने गलत तरीके से आदेश पारित किये हैं। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथनों को देहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। आराजी खसरा नम्बर 775 रकवा 1.25 है0 स्थित ग्राम [illegible]क सराय तहसील नादौती पर प्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या [illegible] दिनांक 15.07.2014 को स्वीकृत करने में भारी त्रुटि की है, क्योंकि तथाकथित नामान्तकरण स्वीकार करने के दिन आराजी मुत0 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अपील विचाराधीन रही है तथा उसमें स्थगन आदेश जारी रहा है। विवादित आराजी के संबंध में सक्षम न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है जिसमें तथाकथित विकय विलेख को निरस्तीकरण कराये जाने हेतु कार्यवाही की गई है और विकय पत्र को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। सक्षम न्यायालय में नियमित कार्यवाही विचाराधीन होने की अवस्था में विकय पत्र के तहत नामान्तरकण की कार्यवाही को स्थगित करना चाहिए था। विकय पत्र दिनांक 17.03.2009 के तहत कोई कब्जा आराजी उत्तरवादी विकेता ने क्रियान्वयन को हस्तांतरित नहीं किया क्योंकि आराजी मुत0 के किसी भाग पर उत्तरवादी केता व विकेता किसी का भी कब्जा नहीं रहा है। बिना कब्जे की जॉच किये केवल अवैध व शून्य विकय पत्र के आधार पर हर दो अधीनस्थ न्यायालयों ने खण्डनाधीन आदेश जारी किये गये हैं। विवादित आराजी का 1/3 हिस्सा कब्जा काश्त अपीलार्थी का है। अपीलार्थी ने उत्तरवादी संख्या 1 से विवादित आराजी के 1/3 हिस्सा की विकय संविदा लगभग 25 वर्ष से की हुई है और अपीलार्थी की बही में इस तरह की प्रविष्टियॉं की हुई हैं जिनमें कब्जा आराजी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलार्थी को दिया हुआ अंकित किया गया है। उक्त संविदा की विनिर्दिष्ट पालना हेतु वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन रहा है जो अब अपील स्तर पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। मौके पर अपीलार्थी का विवादित आराजी पर वास्तविक कब्जा काश्त है और आराजी के संबधं में सिविल न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो प्रथम अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी नामान्तकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नादौती के आदेश में न्याय के सामान्य सिद्धान्तों का पूर्ण अभाव है। विवादित नामान्तकरण उन्होंने निर्धारित प्रकिया के विरूद्ध मनमाने तरीके से भरा है और स्वीकृत किया है। उसे बहाल रखने का आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली 04.12.2014 व आदेश तहसीलदार नादौती दिनांक 15.07.2014 निरस्त किये जावें।

4. वकील रेस्पोडैन्ट का कथन है कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन था। यह द्वितीय अपील दिनांक 13.03.2012 को निस्तारण होकर खारिज कर दी गई। तहसीलदार द्वारा विधि अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोला गया है। सिविल सूट खारिज होने के बाद सुनवाई की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपीलार्थी द्वारा कोई भी स्थगन आदेश पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी ख.नं. 775 रकवा 1.25 हैक्टे. वांके ग्राम मिलकसराय तहसील नादौती जिला करौली के संबंध में माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हिण्डौन सिटी के निर्णय दिनांक 07.02.2009 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 452 दिनांक 15.7.2014 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 16.12.2011 से अपील खारिज किये जाने पर उपपंजीयक (न्याय) के आदेश दिनांक 13.03.2012 के अनुसार द्वितीय अपील खारिज होने के कारण मुताविक विक्रय पत्र क्रेतागण प्रेमचंद, रामनिवास के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकार है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलान्ट द्वारा मुख्य कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा स्थगन दिये जाने के पश्चात नामान्तकरण तस्दीक किया गया जबकि अपीलान्ट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई स्थगन आदेश पेश नहीं किया। न्यायालय के मत में तहसीलदार नादौती जिला करौली द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 452 दिनांक 15.7.2014 विधि सम्मत पारित किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश होने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2014 विधिसम्मत रूप से पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायालय के मत में न्यायोचित नहीं हैं अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 452 दिनांक 15.07.2014 एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.12.2014 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय आज दिनांक 13.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.04.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर